न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 46/21 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2021/49)

गवरूद्दीन पुत्र श्री नसरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी आदर्श नगर बयाना सदर वक्फ कमेटी बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना मु0नं0 45/18 गबरूद्दीन बनाम सरकार दिनांक 5.2.2021 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री हरीदत्त शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 4.7.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 5.2.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि अपीलान्ट वर्तमान में सदर वक्फ कमेटी बयाना के पद पर आसीन है इसलिऐ वक्फ कमेटी की ओर से यह प्रार्थना पत्र नियमानुसार अलग से अनुमति प्राप्त कर पेश किया जा रहा है। आराजी खसरा नम्बर 2206/1.15, 2207/0.23, 2208/0.28, 2209/0.12, 2210/0.12, 2211/2.24, 2198/0.07, 2199/7.35, 1014/0.01, 1015/0.12, 1016/0.97, 1017/0.51, 1018/0.03, 1020/0.08, 1026/0.07, 714/0.05, 716/0.11, 640/0.08, 1936/0.01, 1935/0.01, 3070/0.79, 3282/0.06, 3283/0.01 वाकै कस्बा बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी सैटिलमेन्ट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 1214,1215,1219,377,367,931,1796,1965 से बनाये गये है जो कि सैटिलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकार्ड में कॉलम संख्या 5 में गैरमुमकिन कब्रिस्तान दर्ज थी। जिसे सैटिलमेन्ट के दौरान मिसिल हकीकत में सहवन गलती से कब्रिस्तान शब्द को हटाकर केवल गैरमुमकिन अंकित कर दिया है जिसे बाद में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत व गैरकानूनी रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है जबकि मद संख्या 2 में वर्णित उपरोक्त भूमि की किस्म कॉलम संख्या 4 में गैर मुमकिन कब्रिस्तान शुद्धीकरण किया जाना व सिवायचक नाकाबिल काश्त का इन्द्राज कलमजन किया जाना सैटिलमेन्ट पर्चा में व वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

4.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार दर्ज कालम संख्या 9 में खसरा नम्बर 1014 व 2199 को छोडकर शेष खसरा नम्बर की बाबत गैरमुमकिन के आगे कब्रिस्तान दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। खण्ड संख्या 2 में वर्णित भूमि मौके पर आज भी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में आ रही है जो कि, वक्फ कमेटी बयाना की देखरेख में व कब्जे में है। प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सैटिलमेन्ट पर्चा व वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के कॉलम संख्या 9 में मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात को 1014 व 2199 को छोडकर शेष भूमि पर गैरमुमकिन के आगे कब्रिस्तान दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट दिनांक 5.2.2021 से खारिज करते हुये आदेश दिये कि वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर के अधिकांश खसरा नम्बरों में आबादी बसी हुई है सैटिलमेन्ट के दौरान सैटिलमेन्ट अधिकारियों द्वारा मौके के अनुसार ही रिकार्ड किस्म परिवर्तन किया है। ऐसी स्थिति में अब जब अधिकांश आराजी आबादी खातेदारी अथवा राजकीय कार्यालयों, आवासों दुकानों के रूप में काम में आ रही है प्रार्थी द्वारा चाही जा रही किस्म कब्रिस्तान परिवर्तित करना न्यायोचित नहीं है और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021 विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र दफा 136 एल आर एक्ट अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना की अदालत में इस आशय का पेश किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 2206/1.15, 2207/0.23, 2208/0.28, 2209/0.12, 2210/0.12, 2211/2.24, 2198/0.07, 2199/7.35, 1014/0.01, 1015/0.12, 1016/0.97, 1017/0.51, 1018/0.03, 1020/0.08, 1026/0.07, 714/0.05, 716/0.11, 640/0.08, 1936/0.01, 1935/0.01, 3070/0.79, 3282/0.06, 3283/0.01 वाकै कस्बा बयाना जिला भरतपुर में स्थित है। अपीलान्ट ने यह भी प्रार्थना पत्र में अंकित किया था कि उपरोक्त वर्णित आराजी सैटिलमेन्ट के दौरान साविक नम्बर 1217, 1215, 1219, 377, 367, 931, 1796, 1965 से बनाये गये है। अपीलान्ट का यह तर्क है कि उपरोक्त साविक नम्बरान पुराने सैटिलमेन्ट रिकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज है लेकिन सैटिलमेन्ट ने कब्रिस्तान शब्द हटाकर गैरमुमकिन शब्द दर्ज कर दिया है। जिसे बाद में चलकर गैर कानूनी रूप से सिवायचक दर्ज किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि खसरा नम्बर 1014, 2199 को छोडकर शेष खसरा नम्बर को गैरमुमकिन कब्रिस्तान शब्द दर्ज किया जावे क्यों कि उक्त भूमि आज भी कब्रिस्तान के कार्य में आ रही है। यह सही है कि सैटिलमेन्ट को किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर के अधिकांश खसरा नम्बरों पर आबादी बसी हुई है और राजकीय कार्यालय, आवास , दुकाने बनी हुई है । सैटिलमेन्ट के दौरान सैटिलमेन्ट अधिकारियों द्वारा मौके के अनुसार ही रिकार्ड किस्म परिवर्तन किया गया है। अब भूमि आबादी के काम आ रही है इसलिऐ कब्रिस्तान परिवर्तन करना उचित नहीं है। अदालत मातहत का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है और ना ही निर्णय करने का कोई आधार ही हो सकता है। अपीलाधीन आदेश ट्रेसपासर की आदत को बढावा देने वाला है यह निर्णय तो अतिक्रमण को और बढावा देगा। ऐसी स्थिति में इसे अपास्त किया जाना न्यायिक है ताकि भविष्य में जमीनों पर हो रहे अतिक्रमणों को रोका जा सके। इसी प्रकार सैटिलमेन्ट विभाग को किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं नहीं है केवल कलक्टर को ही किस्म परिवर्तन करने का आधिकार है लेकिन, गैर मुमकिन कब्रिस्तान, नहर, नाले वगैरह की जगह मे तो जिला कलक्टर भी किस्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। बिना किसी सक्षम आज्ञा के किस्म परिवर्तन किया जाना गैर कानूनी है। उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा जो रिपोर्ट तहसीलदार बयाना से मंगाई गई है। उसमें भी उन्हौने अपीलान्ट की बात का ही समर्थन किया है कि साविक नम्बरों में आराजी मुतनाजा कब्रिस्तान दर्ज है। इसलिए अदालत मातहत का फैसला गैर कानूनी और ट्रेसपासर को बढावा देने वाला है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि सैटिलमेन्ट विभाग को किसी भी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में 1973 आर0आर0डी पेज 31, 2003 आर0आर0डी0 पेज 175 व 1994 आर0आर0डी0 पेज 761 पर उदरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला दिया। जिनमें यह सिंद्धांत प्रतिपादित किया गया कि भूप्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान जब तक किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं हो तब तक पुरानी प्रविष्टि को ही दोहराया जायेगा। भू प्रबंध विभाग न तो राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज कर सकता है और न ही भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई परिवर्तन ही कर सकता है। वकील अपीलान्ट ने उपरोक्त नजीरों के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य बताया क्योंकि उक्त प्रकरण में भूप्रबंध विभाग द्वारा भूमि की किस्म बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तित की गई है। जबकि बन्दोवस्त विभाग को किसी भी पक्षकार खातेदार या मालिकाना हक अथवा भूमि की किस्म अथवा भूमि से छेडछाड करने का कतई कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार (एलआर) बयाना जिला भरतपुर द्वारा भी उनकी रिपोर्ट कमांक एलआर/2020/411 दिनांक 18.2.2020 में यह स्पष्ट किया है कि उक्त खसरा नम्बरान पर साविक रिकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज थी, लेकिन वर्तमान रिकार्ड में किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान नहीं होकर अन्य किस्म दर्ज है। इस रिपोर्ट में अपीलान्ट/प्रार्थी की बात का समर्थन किया है और राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि को पूर्व में कब्रिस्तान माना है। बिना किसी सक्षम आदेश के किस्म परिवर्तन किस प्रकार हुई इसके संबंध में अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्डाधिकारी बयाना जो कि भू अभिलेख अधिकारी भी है उनका यह दायित्व था कि वे अपने क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड का सही रख रखाब करें एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटी ध्यान में आते ही उसे दुरूस्त करावें। 136

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

एल आर एक्ट राजस्व रिकार्ड की जायज त्रुटीयों को दुरूस्त करने के लिये ही है फिर भी उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा बिना किसी आधार के केवल यह आधार मानते हुये कि विवादित भूमि वर्तमान में आबादी के काम में आ रही है, अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो कि उचित नहीं है। जबकि मौके पर आज भी कब्रिस्तान बने हुये है। इस प्रकार बिना किसी सक्षम आदेश के जमीनों की किस्म परिवर्तन करके उस पर कब्जा करना अतिक्रमण करने की संज्ञा में आता है। इस तरह का अपीलाधीन आदेश अतिक्रमण को बढावा देने की संज्ञा में आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्डाधिकारी बयाना का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.2.2021 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की ओर से दफा– 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर उपरोक्त नम्बरों को गैरमुमकिन कब्रिस्तान दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021 रिकॉर्ड एवं तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तहत अदालत द्वारा नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन किया है। मौके की रिपोर्ट तहसीलदार बयाना से मंगवाई गई है। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख व तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट के अवलोकन पर यह पाया कि वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर के अधिकांश खसरा नम्बरों में आबादी बसी हुई है जिनमें आवासीय मकान बने हुये है। साथ ही नवीन खसरा नम्बरों में राजकीय कार्यालय/आवास मकान, दुकान, पैट्रोल पम्प, आदि बने हुये है । सैटिलमेन्ट के दौरान सैटिलमेन्ट अधिकारियों द्वारा मौके के अनुसार ही रिकार्ड किस्म परिवर्तन किया है। ऐसी स्थिति में अब जब अधिकांश आराजी आबादी खातेदारी अथवा राजकीय कार्यालयों/राजकीय आवासों दुकानों के रूप में काम में आ रही है तो अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही किस्म कब्रिस्तान परिवर्तित करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट को पूर्ण जांच व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया है जो कि विधि–सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश 5.2.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय सम्बंधी मूल पत्रावली एवं अपीलान्ट के अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार को पक्षकार बनाकर राजस्व रिकॉर्ड मे शुद्धि किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बयाना से मौके व रिकॉर्ड की स्थिति के सम्बंध में रिपोर्ट तलब की गई, जो कि तहसीलदार बयाना के पत्र क्रमांक 411 दिनांक 18.02.2020 से प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से

5.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018, 1020, 1026, 2198, 2199, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210 व 2211/1 तहसील के पत्रांक 86–87 दिनांक 27.01.2017 से माननीय राजस्थान वक्फ न्यायाधीकरण जयपुर द्वारा स्थगन का पेंसिल नोट अंकित है। जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में नामान्तरण संख्या 3411 दिनांक 22.11.2012 से महकमा नगरपालिका बयाना सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नम्बर 367, 377 मिन, 931, 1182, 1215, 1217, 1219, 1659, 1796 की किस्म साबिक रिकॉर्ड में गैरमुमकिन कब्रिस्तान दर्ज थी। लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में उक्त साबिक खसरा नम्बरान के बने हाल खसरा नम्बर 640, 641, 714/1, 716/1, 1013, 1015, 1016,1017/2, 1018, 1020, 1026, 1935, 1936, 2196, 2198, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211/1, 2211/2, 2833, 2834, 3069, 3070, 3078, 3079, की किस्म गैरमुमकिन कब्रिस्तान नहीं होकर अन्य किस्म में दर्ज है। तहसीलदार से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021 में उक्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का विस्तृत हवाला देते हुये यह मानना है कि वर्तमान में नवीन खसरा नम्बरान के अधिकांश खसरा नम्बरों में आबादी बसी हुई है। जिनमें आवासीय मकान बने हुये हैं। साथ ही नवीन खसरा नम्बरों में राजकीय कार्यालय/आवास जैसे विद्युत विभाग के कार्यालय, स्टोर व आवास, पैट्रोल पम्प, राजकीय महाविद्यालय एवं छात्रावास, मकान व दुकान, पंचायत समिति कार्यालय एवं पंचायत समिति के कर्मचारियों व अधिकारी के आवास बने हुये है। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा मौके के अनुसार ही रिकॉर्ड में किस्म परिवर्तन किया है। ऐसी स्थिति में अब जब अधिकांश आराजी आबादी खातेदारी अथवा राजकीय कार्यालयों/राजकीय आवासों/दुकानों के रूप में काम में आ रही है तो प्रार्थी द्वारा चाही जा रही किस्म कब्रिस्तान परिवर्तित करना न्यायोचित नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो कि उचित प्रतीत होता है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के अनुसार प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित खसरा नंबर 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2198, 2199, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1026, 714, 716, 640, 1936, 1935, 3070, 3282 व 3283 सभी की किस्म गैर मुमकिन व नगर पालिका बयाना की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2051–60, नकल मिसल हकीयत सम्वत् 2051–2070 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिसमें उक्त नम्बरान के साविक नंबर सिवायचक दर्ज होने के साथ किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार बयाना से प्राप्त विस्तृत मौका व रिकार्ड की स्थिति प्राप्त कर यह अभिमत व्यक्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है कि पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख व तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट के अवलोकन पाया कि वर्तमान में नवीन खसरा नम्बरान के अधिकांश खसरा नंबरों में आबादी बसी हुई है। जिनमें आवासीय मकान बने हुए हैं, साथ ही नवीन खसरा नंबरों में राजकीय कार्यालय/आवास जैसे विद्युत विभाग के कार्यालय, स्टोर व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवास, पेट्रोल पम्प, राजकीय महाविद्यालय एवं छात्रावास, मकान या दुकान, पंचायत समिति कार्यालय एवं पंचायत समिति बयाना के कर्मचारियों व अधिकारियों के आवास बने हुए हैं। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारी द्वारा मौके के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में किस्म परिवर्तन किया है। ऐसी स्थिति में अब जब अधिकांश आराजी आबादी खातेदारी अथवा राजकीय कार्यालयों/राजकीय आवासों/दुकानों के रूप में काम आ रही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाही जा रही किस्म कब्रिस्तान करना न्यायोचित नहीं माना है। उक्त निर्णय में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता इसलिए नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय तहसीलदार बयाना से प्राप्त मौका व रिकार्ड के आधार पर पारित किया गया है। इसके अलावा विवादित भूमि वर्तमान में नगर पालिका बयाना के नाम दर्ज है। अपीलान्ट की ओर से नगर पालिका बयाना को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीर यथा आर. आर.डी 1973 पेज 31, आर.आर.डी 2003 पेज 175, आर.आर.डी 1994 पेज 761 व आर.आर.डी 1982 पेज 665 पर उद्वरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु अपीलाधीन प्रकरण के तथ्य उक्त संदर्भित नजीरों में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान किसी प्रकार की कोई खातेदारी या राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया है। वरन् मौके की स्थिति के अनुसार किस्म दर्ज की है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में खसरा नंबर 994, 995, 997, 1014, 2199 आदि गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज किया हुआ है। अपीलान्ट की ओर से सभी खसरा नम्बरान को कब्रिस्तान में दर्ज किए जाने की इस्तदुआ की है। परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी खसरा नम्बरान के सैटलमेंट से पूर्व कब्रिस्तान में दर्ज होने के संबंध में किसी तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021 तहसीलदार बयाना से प्राप्त मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 4.7.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर